अब मरीज भी जान सकेंगे अस्पताल ने दवा कितने में खरीदी, कितने में बेची

फार्मेसियों को वेबसाइट पर लाइसेंस, फार्मासिस्ट और स्टॉक की जानकारी भी देनी होगी

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। अस्पतालों की फार्मेसी में दवाओं की कीमतों को लेकर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल परिसर या भर्ती मरीजों के लिए संचालित फार्मेसियों को अपनी वेबसाइट पर दवाओं की खरीद और मरीज को बिक्री कीमत की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। मरीज या उनके परिजन फार्मेसी काउंटर पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन कर मोबाइल पर यह जानकारी देख सकेंगे।



क्यूआर कोड स्कैन कर मोबाइल पर देख सकेंगे दवा की खरीद और बिक्री कीमत

एफएसडीए के निर्देश के अनुसार फार्मेसियों को वेबसाइट पर दवा के निर्माता, ब्रांड, जेनेरिक नाम, प्राइस टू रिटेल (पीटीआर) और प्राइस टू कंज्यूमर (पीटीसी) की जानकारी देनी होगी। पीटीआर वह कीमत है जिस पर फार्मेसी ने निर्माता या मार्केटर से दवा खरीदी है, जबकि पीटीसी वह कीमत है जिस पर मरीज को दवा बेची जा रही है। यह व्यवस्था दवाओं के अलावा मेडिकल डिवाइस और न्यूट्रास्युटिकल्स पर भी लागू होगी।

हर रिटेल फार्मेसी की वेबसाइट जरूरी

सभी रिटेल फार्मेसियों को पब्लिक वेबसाइट बनानी होगी। इसमें फार्मेसी का नाम, लाइसेंस नंबर, लाइसेंस धारक का नाम और परिसर का पता दर्ज करना होगा। फार्मासिस्ट का नाम, पंजीकरण नंबर और फोटो भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराना होगा। स्टॉक की जानकारी हर सप्ताह अपडेट करनी होगी। वेबसाइट का यूआरएल व क्यूआर कोड फार्मेसी काउंटर पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।

जांच में सामने आया बड़ा अंतर

एफएसडीए की हालिया जांच में अस्पतालों की 214 फार्मेसियों से मिले आंकड़ों के आधार पर 130 दवाओं का विश्लेषण किया गया। इनमें 36 दवाओं की एमआरपी खरीद कीमत से 10 गुने से अधिक थी। कुछ मामलों में यह अंतर 67 गुने तक मिला। उदाहरण के तौर पर पॉलिमिक्सिन-बी इंजेक्शन की खरीद कीमत 74.09 रुपये, जबकि एमआरपी 4,980.94 रुपये पाई गई। एफएसडीए के मुताबिक कई मामलों में निर्माता, मार्केटिंग फर्म और स्टॉकिस्ट अस्पतालों को एमआरपी से काफी कम दर पर दवाएं उपलब्ध करा रहे थे। ऐसे में मरीजों को इसका कितना लाभ मिल रहा है, इस पर सवाल उठे। इसी को देखते हुए खरीद व बिक्री कीमत सार्वजनिक करने की व्यवस्था की जा रही है।

कमीशन लेने वाली भाजपा सरकार दवा कंपनियों पर कैसे कसेगी शिकंजा : अखिलेश

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर दवा कंपनियों से कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो सरकार खुद कमीशनखोरी में लिप्त हो, वह दवा कंपनियों पर कैसे शिकंजा कसेगी। सोमवार को जारी बयान में अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार में कमीशनखोरी चरम पर है। महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। दवाओं की कीमत बढ़ने के लिए भी उन्होंने कमीशन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि चढ़ावा चोरों की झूठी बातों पर अब कोई भरोसा नहीं कर रहा है। अखिलेश ने भाजपा पर मुकदमे हटवाने, विपक्ष पर झूठे मुकदमे लगाने और सत्ता से जुड़े लोगों को अपराध के बाद संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की आपसी टकराहट में प्रदेश पिस रहा है। बाढ़ से प्रदेश प्रभावित है और अधिकारियों में घूसखोरी को लेकर होड़ मची है। जनता अब चुनाव का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई है। ब्यूरो



फैजुल्लागंज से नैमिष तक बनेगा तटबंध

लखनऊ। राजधानी में बाढ़ से बचाव के लिए करीब 40 किलोमीटर लंबा फैजुल्लागंज से नैमिष तक तटबंध बनेगा। मुख्यमंत्री योगी ने सोमवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि तटबंध को स्वीकृति दे दी गई है। मानसून समाप्त होने के बाद धनराशि जारी कर निर्माण शुरू कराया जाएगा।

ग्रीन कॉरिडोर की तर्ज पर बनने वाले इस तटबंध के ऊपर एक रास्ता बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव को गोमती किनारे सर्वे कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। तटबंध के बाहर बारिश का पानी जमा न हो, इसके लिए पंपिंग सेट लगाए जाएंगे। इनसे नदी का जलस्तर बढ़ने पर आबादी से पानी बाहर निकाला जा सकेगा। ब्यूरो



बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर सीएम ने राहत सामग्री वितरित की।

सीएम ने किया बीकेटी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा

मुख्यमंत्री ने फैजुल्लागंज से नैमिष तक हवाई सर्वे भी किया। राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में पहुंचाने के निर्देश दिए। ■शिविरों में दोनों समय गर्म भोजन, बच्चों के लिए दूध और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषक आहार और पशुओं के लिए भूसा उपलब्ध कराने को कहा। सीएम ने कहा कि बाढ़ से जनहानि पर पीड़ित परिवार को चार लाख रुपये की सहायता मिलेगी। क्षतिग्रस्त मकान के पात्र परिवार को आवास योजना से घर दिया जाएगा।

अल्ट्रासाउंड करता मिला 200 करोड़ रुपये ठगने वाला डॉक्टर

फिरोजाबाद। तेलंगाना पुलिस ने सोमवार को दबिश देकर 200 करोड़ की धोखाधड़ी में फरार आरोपी रेडियोलॉजिस्ट के. हरिकृष्णा को गिरफ्तार कर लिया। मामला हैदराबाद की साईंराम एंटरप्राइजेज कपड़ा कंपनी से जुड़ा है। साइबराबाद पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कार्रवाई की।

हरिकृष्णा एमबीबीएस, एमडी है और गणेश अल्ट्रासाउंड सेंटर में नौकरी कर रहा था। हैदराबाद ईओडब्ल्यू के उप-निरीक्षक वेंकटेश्वर की टीम ने थाना उत्तर पुलिस से संपर्क साधा। टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को अल्ट्रासाउंड सेंटर के पास पकड़ लिया। श्री साईंराम एंटरप्राइजेज और उससे जुड़ी शेल कंपनियों के जरिये फर्जी वर्क ऑर्डर और ऊंचे रिटर्न का झांसा देकर निवेशकों से करोड़ों रुपये ठगे गए थे। कंपनी आरोपी की भाभी संध्या के नाम पर रजिस्टर्ड है। मामले में भाई, साला राम भी नामजद है और भाई फरार है। भाभी और साला गिरफ्तार हो चुका है। संवाद

बैंक ऑफ़ बड़ौदा / Bank of Baroda — भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक

क्षेत्रीय कार्यालयः झाँसी क्षेत्र भूमितल, नगर निगम बिल्डिंग, ईलाइट चौराहा, जिला–झाँसी–284001 (उ.प्र.)

अधिग्रहण सूचना (नियम 8 (1) अचल सम्पत्ति हेतु

प्रतिभूतिकरण व वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी बैंक ऑफ बड़ौदा का प्राधिकृत अधिकारी है और प्रतिभूति हित नियम 2002 की उपधारा 13(12) नियम 3 के साथ पठनीय के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित खाते के सम्मुख उल्लिखित धनराशि के सम्बन्ध में (जिसका सम्पूर्ण विवरण नीचे उल्लिखित है) सम्बन्धित उधारकर्ताओं से मांग की गयी थी कि वे उक्त नोटिस प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिन के अन्दर ऋण राशि चुकता कर दें। चूँकि सम्बन्धित ऋणी/जमानतदार के द्वारा ऋण राशि चुकता नहीं की गयी है इसलिए ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता व आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) नियम 8 के साथ पठनीय के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे लिखी सम्पत्तियों को कब्जे में लिया है। विशेष तौर पर ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता और सामान्य तौर पर आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की खरीद–फरोख्त न करें। इन सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी भी खरीद–फरोख्त हेतु **बैंक ऑफ बड़ौदा** को देय राशि व उस पर देय ब्याज के अनुक्रम में प्रभार नोट किया जाएगा।

ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता का ध्यान प्रतिभूतिकृत आस्तियों को विमुक्त करने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के संदर्भ में, उक्त अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

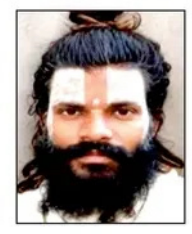
क्र.सं0	ऋणी/गारंटर का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि एवं 13(2) के अनुसार बकाया धनराशि / अधिग्रहण की तिथि एवं 13(4) के अनुसार बकाया धनराशि
शाखा- उन्नाव मुख्य शाखा			
1.	श्रीमती प्रियंका सिंह पत्नी अमित कुमार सिंह, निवासी 700 बी–ब्लॉक पनकी, पंकबहादुर नगर, कानपुर नगर, 208020 (उ.प्र.)	सम्पत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर खुली भूमि, प्लॉट सं. 10, खसरा सं. 1086 एवं 1087, कुल क्षेत्रफल 167.286 वर्ग मीटर स्थित प्लॉट सं. 10, खसरा सं. 1086 एवं 1087, मोहल्ला अलीनगर सुनहरा (मानस नगर), वार्ड–सरोजनी नगर, परगना बिजनौर, ज़िला लखनऊ (उ.प्र.), **मालकिनः** श्रीमती प्रियंका सिंह केयर ऑफ अमित कुमार सिंह, **चौहद्दीः पूर्वः** प्रेम नारायण तिवारी का मकान, **पश्चिमः** 20 फ़ीट चौड़ी सड़क, **उत्तरः** अशोक कुमार मिश्र का मकान, **दक्षिणः** शिव वीर सिंह के मकान का प्लॉट	मांग तिथि: **27.10.2025** रू. **5,75,334.88** / कब्जा तिथि: **03.10.2026** रू. 6,25,859.81 एवं अतिरिक्त ब्याज दिनांक 01.10.2026 से प्रभावी सविदात्मक दर पर तथा भुगतान की तारीख तक के सभी खर्च एवं शुल्क।
नोटः दिनांक 14.09.2026 की हमारी कब्ज़ा सूचना को वापस ले लिया गया है।			
शाखा- आदर्श नगर शाखा			
2.	मेसर्स गुप्ता इंटरप्राइजेज़, प्रोपराइटर श्री राहुल कुमार पुत्र श्री कैलाश कुमार गुप्ता (ऋणी) एवं जमानतकर्ता श्री कैलाश कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम अवतार गुप्ता	सम्पत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर आवासीय प्लॉट/मकान सं. 548/259 स्थित प्लॉट सं. 67बी, वार्ड आलम नगर, मोहल्ला गायत्री नगर (देवपुर), परगना, तहसील एवं ज़िला लखनऊ, कुल क्षेत्रफल 111.524 वर्ग मीटर एवं **मालिकः** श्री कैलाश कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम अवतार गुप्ता, **चौहद्दीः पूर्वः** आराजी दीगर, **पश्चिमः** प्लॉट समिति, **उत्तरः** आराजी दीगर, **दक्षिणः** सड़क 14 फीट चौड़ी	मांग तिथि: **20.04.2026** रू. **30,78,935.41** / कब्जा तिथि: **03.10.2026** रू. 32,42,632.75 एवं अतिरिक्त ब्याज दिनांक 01.10.2026 से प्रभावी सविदात्मक दर पर मासिक आधार पर ब्याज, एवं दंडात्मक ब्याज, तथा भुगतान की तारीख तक के सभी खर्च एवं शुल्क।

स्थानः उन्नाव, दिनांकः 03.10.2026 — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

आश्रम के बाहर तड़पते माता और पिता, दीवारों पर बच्चों की तलाश

मथुरा। संत प्रेमानंद के शिष्य 25 वर्षीय दीपक लोधी उर्फ दुलारी शरण की आत्महत्या ने आश्रम जाने की कहकर घर से निकले बच्चों के परिजन की चिंता बढ़ा दी है। आलम यह है कि माता-पिता बच्चों की एक झलक पाने की आस में केलिकुंज आश्रम के बाहर चक्कर लगा रहे हैं। अब आश्रम के आसपास की दीवारों पर इस उम्मीद में लापता बच्चों के पोस्टर चिपका दिए हैं, कि कोई उन्हें पहचानेगा और बताएगा कि तुम्हारे बच्चे हमने देखे हैं।25 सितंबर को गऊ कृपा कुंज आश्रम की चौथी मंजिल से संत प्रेमानंद के 25 वर्षीय शिष्य दीपक लोधी उर्फ दुलारी शरण ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। प्राइवेट पार्ट कटा होने के बाद उठाए गए आत्मघाती कदम ने आश्रम कहकर घर से निकले बच्चों के परिजन को झकझोर दिया। इसके बाद से लगातार परिजन का आश्रम के बाहर आना शुरू हो गया। आश्रम पहुंचने वाले परिजन का एक ही आरोप है कि दीक्षा लेकर निकले थे। संवाद

रसिक दुलारी शरण की मौत के मामले में एससी/एसटी आयोग सख्त, प्राथमिकी दर्ज कर जांच के दिए निर्देश



वृंदावन। वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम से जुड़े शिष्य रसिक दुलारी शरण उर्फ दीपक लोधी की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। घटना के 10 दिन बाद उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है। सोमवार को आयोग की सदस्य नीरज गौतम मथुरा पहुंचीं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली।

आयोग की सदस्य नीरज गौतम ने पुलिस को मामले में तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर उच्चस्तरीय जांच के निर्देश दिए। बैठक के दौरान नीरज गौतम ने सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे नए-नए सीसीटीवी फुटेज को लेकर मथुरा पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने अधिकारियों से सीधे तौर पर पूछा कि जब घटना के तुरंत बाद सीसीटीवी का डीवीआर पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया था, तो इसके फुटेज बाहर कैसे आ रहे हैं।

उन्होंने इसे जांच और साक्ष्यों की सुरक्षा में बड़ी चूक मानते हुए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों की जवाबदेही तय करने के आदेश दिए।गौरतलब है कि बीती 25 सितंबर को रसिक दुलारी शरण की चार मंजिला इमारत से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इतने दिन बीत जाने के बाद भी मुकदमा दर्ज न होने और लगातार साक्ष्य लीक होने से पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संवाद

कानपुर नगर निगम

निविदा सूचना

निविदा संख्या–83/ मु०अभि० / 2026–27

नगर निगम कानपुर के समस्त वर्ष 2025-26 में पंजीकृत / नवीनीकृत ठेकेदारों से उनकी पंजीकरण सीमा के अन्तर्गत तथा उ०प्र० सरकार के अधीन किसी सरकारी संस्था में निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2025-26 हेतु पंजीकृत ठेकेदारों से विभिन्न अभियन्त्रण खण्डों के अन्तर्गत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्यों हेतु निम्नानुसार निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं :-

1. ई-निविदा पद्धति से आमन्त्रित कार्यो की निविदायें संख्या–54 दिनांक–12.10.2026

उपरोक्तानुसार आमन्त्रित निविदाओं में निम्न अतिरिक्त शर्तें अनुमन्य होंगी :-

1. लोक निर्माण विभाग के शासनादेश सं0-86/2026/649/2026/23-7099/106/2025 दिनांक-23 मई, 2026 में दी गयी व्यवस्था लागू होगी।
2. एक समान दरें प्राप्त होने पर सर्वनिम्न निविदादाता का चयन विभाग द्वारा संचालित सॉफ्टवेयर पर ई-लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
3. सड़क मरम्मत के कार्यों हेतु शासकीय / अर्द्धशासकीय विभाग/निगमों/यू०एल०बी० यथा लोक निर्माण विभाग, विकास प्राधिकरण, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद इत्यादि में 'सड़क निर्माण कार्य" हेतु पंजीकृत फर्म प्रतिभाग करने हेतु अर्ह होंगे। इस हेतु प्रतिभागी फर्म को सड़क निर्माण कार्य सम्बन्धी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न (अपलोड) करना होगा।

आमंन्त्रित कार्यों का पृथक-पृथक विवरण एवं निविदा से सम्बन्धित नियम एवं शर्ते कानपुर नगर निगम की बेवसाइट kmc.up.nic.in एवं ई-टेण्डर की वेबसाइट www://etender.up.nic.in पर पढीं व देखी जा सकती हैं।

मुख्य अभियन्ता
नगर निगम कानपुर

धोती पर खून के निशान, छत की ओर जाते दिखे रसिक

तीसरा वीडियो आया सामने

मथुरा। संत प्रेमानंद महाराज से शिष्य 25 वर्षीय दीपक उर्फ रसिक दुलारी शरण की आत्महत्या से पहले का तीसरा वीडियो सामने आया है। 33 सेकेंड के वीडियो में रसिक दुलारी सीढ़ियों से छत की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। उनकी धोती पर खून के निशान नजर आ रहे हैं। वीडियो ने मौत से पहले की परिस्थितियों पर सवाल और बढ़ा दिए हैं।रसिक दुलारी ने 25 सितंबर की सुबह गऊ कृपा कुंज आश्रम की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। 26 सितंबर को यमुना किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया। घटना के दो दिन बाद उनका चौथी मंजिल से कूदने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। इसके बाद दूसरे वीडियो में वह छत की बाउंड्री पर बैठे और करीब छह सेकेंड बाद फर्श पर लेटते दिखे। फिर अचानक उठकर छलांग लगा देते हैं।पुलिस आश्रम से जुड़े और आसपास रहने वाले 200 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है। पुलिस ने रसिक दुलारी का मोबाइल फोन और एनल स्लाइड जांच के लिए भेजी हैं। एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि आत्महत्या के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है। संवाद

दिनेश फलाहारी का आरोप : 5 करोड़ रुपये में आए थे विराट कोहली

मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने संत प्रेमानंद को बेलवन आश्रम छोड़कर गोवर्धन आने का आग्रह किया है। सोमवार को लिखे पत्र में उन्होंने सुरक्षा पर चिंता जाहिर करते आश्रम में गुटबाजी का दावा किया है। आरोप है कि एक गुट ने क्रिकेटर विराट कोहली को कथित तौर पर 5 करोड़ देकर प्रेमानंद महाराज के दरबार में बुलाया था। इसके बाद महाराज की प्रसिद्धि देशभर में बढ़ी। आरोप है कि साधु वेशधारी एक गुट बेलवन आश्रम के आसपास यमुना डूब क्षेत्र की जमीनों की खरीद-फरोख्त कर रहा है। आरोप लगाया कि कुछ भूमाफिया और अधिकारियों की मिलीभगत से यमुना खादर की जमीन बेच रहे हैं। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। संवाद

ई–नीलामी विक्रय सूचना

सरफेसी अधिनिम 2002 के अंतर्गत

बैंक ऑफ़ इंडिया — रिश्तों की जमा पूंजी

आंचलिक कार्यालय, 128/24 ओम लक्ष्मी टॉवर, एच ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर–208011, दूरभाष : 0512–2985004

प्रतिभूति हित (प्रर्वतन) नियम, 2002 के नियम 6(2) एवं 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति करण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रर्वतन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणी (यो), जमानतकर्ता (ओं) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो बैंक के ऑफ इण्डिया के पास गिरवी/प्रभारित है, का भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक ऑफ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहां है, जैसी है एवं जो कुछ भी है"** के आधार पर नियम 13(2) के अन्तर्गत मांग सूचना वर्णित बकाया राशि एवं उस पर ब्याज, खर्च एवं व्ययों की वसूली हेतु विक्रय की जायेगी। सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया गया है, आरक्षित मूल्य एवं धरोहर धनराशि सभी सम्पत्तियों के आगे अंकित है।

क्र.सं.	ऋणी /जमानतदार का नाम, मांग नोटिस दिनांक व राशि एवं कब्जा दिनांक/कब्जे का प्रकार	बंधक रखी सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति के बंधककर्ता का नाम/ऋणी	आरक्षित मूल्य (लाख में) / धरोहर राशि (लाख में) / बोली वृद्धि राशि
उन्नाव शाखा, 472/1, के.के. टावर, आदर्श नगर, उन्नाव (उ.प्र.) पिन कोड 209801			
1.	**ऋणीः** श्री अमित कुमार पटेल पुत्र नंद कुमार **जमानतकर्ताः** श्रीमती राधिका देवी वर्मा पत्नी दूधनाथ वर्मा **एन.पी.ए. दिनांकः 28.06.2023** **मांग सूचना दिनांकः 25.11.2025** **राशिः रू. 25,04,632.44 + ब्याज एवं अन्य खर्चे** (बाद में वसूली की गई राशि घटाकर) **कब्जा दिनांकः 20.02.2026/सांकेतिक**	भूमि व भवन का साम्यिक बंधक स्थित आवासीय परिसर, आराज़ी सं. 195 (भाग), म्युनिसिपल सं. 25/1055, मोहल्ला–बिंदा नगर, भाटू फार्म, माझरा पीपर खेड़ा अहेत माली, परगना हरहा, तहसील एवं ज़िला उन्नाव, क्षेत्रफल– 150 वर्ग गज (विक्रय विलेख संख्या 3254, दिनांक 24.06.1996 के अनुसार), **मालिकः** श्रीमती राधिका देवी वर्मा पत्नी श्री दूधनाथ वर्मा, **बंधककर्ताः** श्रीमती राधिका देवी वर्मा पत्नी श्री दूधनाथ वर्मा, **क्षेत्रफल 150 वर्ग गज** **सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्व–** आराज़ी बुद्धा देवी, **पश्चिम–** 20 फ़ीट चौड़ी सड़क, **उत्तर–** 15 फ़ीट चौड़ी सड़क, **दक्षिण–** अन्य की आराज़ी	**रू. 27.69** / **रू. 2.77** / **रू. 25,000/–**
2.	**ऋणीः** श्री प्रबल प्रताप सिंह पुत्र श्री गजेंद्र सिंह **जमानतकर्ताः** श्रीमती श्यामा देवी पत्नी श्री गजेंद्र सिंह **एन.पी.ए. दिनांकः 28.08.2024** **मांग सूचना दिनांकः 30.08.2025** **राशिः रू. 6,32,140.80 + ब्याज एवं अन्य खर्चे** (बाद में वसूली की गई राशि घटाकर) **कब्जा दिनांकः 06.12.2025/सांकेतिक**	भूमि एवं भवन, शेड एवं ढांचों के सभी भाग व खण्ड स्थित मकान सं. 399, आराज़ी सं. 3359 (भाग), आदर्श नगर, नगर पालिका, तहसील एवं ज़िला उन्नाव, **मालिकः** श्रीमती श्यामा देवी पत्नी श्री गजेंद्र सिंह, **क्षेत्रफलः 103.72 वर्ग मीटर** **सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्व–** ममता तिवारी का मकान, **पश्चिमः** सड़क, **उत्तरः** ओम प्रकाश अवस्थी का मकान, **दक्षिणः** राकेश त्रिवेदी का मकान	**रू. 21.91** / **रू. 2.19** / **रू. 25,000/–**

उपरोक्त सभी सम्पत्तियों हेतु धरोहर राशि जमा करने की अन्तिम तिथि 25.11.2026 शाम 04.00 बजे तक
उपरोक्त सभी सम्पत्तियों की ई–नीलामी दिनांक 26.11.2026 को समय प्रातः 11 बजे से शाम 5.00 बजे तक (5 मिनिट अन्तराल के असीमित विस्तार के साथ)

विक्रय की नियम एवं शर्तेः– 1. यह ई–नीलामी **"जहां है, जैसी है" एवं "जो कुछ भी है"** के आधार पर हो रही है। 2. प्राधिकृत अधिकारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास तक नीलामी की जा रही सम्पत्ति भार मुक्त है फिर भी इच्छुक निविदाकर्ता को चाहिए की ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्वतन्त्र रूप से सभी भार, टाईटिल क्लेम संविधिक देयतायें (सीमा शुल्क एवं उत्पाद कर/आयकर एवं या अन्य कोई सरकारी एजेंसी) आदि की स्वयं जांच कर ले। सभी सम्पत्तियां सभी वर्तमान एवं भविष्य के ज्ञात अथवा अज्ञात भारों के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के तृतीय / अन्य पक्षकार के क्लेम अधिकार एवं देनदारियों के प्रति उत्तदायी नहीं होगा। 3. यह निविदाकर्ताओं का उत्तदायित्व है कि ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्ति का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लें। सम्पत्ति के निरीक्षण के लिये बैंक ऑफ इण्डिया की संबंधित शाखा से सम्पर्क कर सकते है। 4. इच्छुक निविदाकर्ता वेब पोर्टल https://www.BAANKNET.com पर रजिस्टर करके आपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे तथा इसी पोर्टल के माध्यम से ईएमडी जमा की जा सकती है। 5. वेब पोर्टल में पंजीकरण के पश्चात इच्छुक निविदाकर्ता निम्नलिखित दस्तावेजों को निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व वेब पोर्टल में अपलोड कर ले। 1. पैन कार्ड की प्रति, 2. आईडी प्रूफ (केवाईसी) जैसे– स्वयं सत्यापित आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स / पासपोर्ट आदि। 6. ई–नीलामी प्रक्रिया में केवल वैध यूजर आईडी, पासवर्ड धारक निविदाकर्ता ही भाग ले सकेंगे। 7. केवल वही इच्छुक निविदाकर्ता जिन्होने ईएमडी भुगतान **दिनांक 25.11.2026** तक तय समय से कर दिया है, ही ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग ले पायेंगे। 8. यदि सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य रू 50 लाख तक है तो निविदाकर्ता निविदा की राशि रु. 25000/– के खण्ड में ही बढ़ा पायेंगे, इसी प्रकार यदि आरक्षित मूल्य रू. 50 लाख से अधिक है तो यह राशि रु. 50000/– होगी। 9. उच्चतम बोली लगाने वाले को प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से सफल बोलीकर्ता घोषित किया जायेगा। जिसकी जानकारी उसे इलेक्ट्रिक मोड द्वारा उनके ईमेल पते पर दी जायेगी। 10. प्रधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली को भी स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी बोली को स्वीकार / निरस्त करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी को ही होगा। 11. सफल बोलीकर्ता की ईएमडी राशि BAANKNET वॉलेट में ही रहेगी तथा सभी असफल बोलीकर्ता की राशि BAANKNET से वापस ली जा सकेगी। ईएमडी राशि पर BAANKNET द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। 12. सफल बोलीकर्ता को विक्रय मूल्य (अर्थात अधिकतम बोली राशि) का 25 प्रतिशत (ईएमडी राशि सम्मिलित करके) तुरन्त जमा करना होगा। शेष बकाया राशि उसे 15 दिन या उसके अन्दर जमा करना होगा। सफल बोलीकर्ता द्वारा भुगतान में असफल रहने की स्थिति में उसके द्वारा जमा राशि बिना किसी पूर्व सूचना के जब्त कर ली जायेगी। 13. निविदाकर्ता को यह सलह दी जाती है कि निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व विस्तृत नियम एवं शर्तों की जानकारी https://www.bankofindia.co.in, https://www.BAANKNET.com से प्राप्त कर लें। 14. यदि विक्रय मूल्य 50 लाख रुपये या उससे अधिक है तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194–IA के अंतर्गत अधिकतम विक्रय मूल्य पर सफल बोलीदाता द्वारा टीडीएस कर देय होगा तथा सरकारी नियमों के अनुसार विक्रय मूल्य पर अतिरिक्त जीएसटी (जहां भी लागू हो) देय होगा। 15. इच्छुक निविदाकर्ता के पास बिड से संबंधित उचित संसाधन होने चाहिए, इस संबंध में कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। 16. बोली आरक्षित मूल्य के ऊपर ही स्वीकार की जायेगी।

ऋणकर्ताओं/जमानतदारों/बंधककर्ता को 15 दिन की विक्रय सूचना

उपरोक्त वर्णित उधारकर्ता/जमानकर्ता/बंधककर्ता को धारा 13 (2) में वर्णित राशि नीलामी की तिथि के पूर्व भुगतान करने हेतु सूचना दी जाती है। राशि जमा करने में असफल रहने पर सम्पत्ति नीलाम कर दी जायेगी तथा शेष राशि मय ब्याज तथा लागत के साथ आपसे वसूल की जायेगी अथवा उधाकर्ता उपरोक्त दिनांक को बैंक द्वारा उनके खाते में देय राशि की वसूली हेतु आयोजित नीलामी में भी भाग ले सकते हैं।

दिनांकः 01.10.2026 — स्थानः उन्नाव — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया



रंगदारी वसूलने के आरोपी 4 सिपाही सेवा से बर्खास्त

स्मैक तस्करी के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर सराफ से वसूले दो लाख

शाहजहांपुर। जलालाबाद के चर्चित रंगदारी प्रकरण में एसपी सौरभ दीक्षित ने सख्त कार्रवाई करते हुए सराफ से दो लाख रुपये की रंगदारी वसूलने के आरोपी चारों सिपाहियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। तिलहर थाने में तैनात रहे इन सिपाहियों पर व्यापारी को स्मैक तस्करी के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर रकम वसूलने का आरोप है। चारों सिपाही मेरठ के रहने वाले हैं।

मामले में आरोपी सिपाही पंकज और वीरेंद्र को एंटी करप्शन टीम पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं, सिपाही अरुण चित्तौड़िया और तुषार वर्मा को पुलिस तलाश रही है। विभागीय जांच सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह को सौंपी गई थी। जांच में सामने आया कि सिपाही वीरेंद्र कुमार बिना लिखित तहरीर और सक्षम अधिकारी के आदेश के जलालाबाद से सराफा व्यापारी सुंदरम क्षत्रिय को पकड़कर बिरियागंज चौकी ले गया था। आरोप है कि वहां उसे प्रताड़ित किया गया और परिवार से दो लाख रुपये लेने के बाद छोड़ा गया।

जांच के दौरान शिकायतकर्ता के बयान, सीसी कैमरे की फुटेज, ऑडियो-वीडियो साक्ष्य और वायरल वीडियो की जांच की गई। इसमें चारों सिपाहियों की भूमिका सामने आई।

यह था मामलाः चार सितंबर की रात तिलहर थाने में तैनात सिपाही अरुण चित्तौड़िया, पंकज, तुषार और वीरेंद्र ने जलालाबाद थाने के कानूनगोयान मोहल्ला निवासी सराफा व्यापारी सुंदरम की बाइक में मादक पदार्थ रखकर उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी थी। आरोप है कि इसके बाद उसे बिरियागंज चौकी ले जाकर प्रताड़ित किया गया और परिवार से दो लाख रुपये लेने के बाद छोड़ा गया। छह सितंबर को आईजीआरएस पर शिकायत के बाद मामला सामने आया था।

चार प्रमुख सचिवों पर अवमानना आरोप तय

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आदेश का पालन न करने के मामले में चार प्रमुख सचिवों के खिलाफ अवमानना के आरोप तय किए हैं। इनमें अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार, प्रमुख सचिव, नमामि गंगे अनुराग श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव सिंचाई, अनिल गर्ग और प्रमुख सचिव ग्रामीण अभियंत्रण, सौरभ बाबू हैं।

यह कार्रवाई कर्मचारियों को वेतन और पेंशन लाभ देने के चार साल पुराने आदेश का पालन न करने पर हुई है। न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने यह आदेश सुरेश चंद्र वर्मा मामले से जुड़ी 37 अवमानना याचिकाओं पर दिया है। अदालत ने कहा कि अधिकारियों ने आदेश के पालन का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। इस पर कोर्ट ने चारों अधिकारियों पर अवमानना के आरोप निर्धारित कर दिए। संवाद